भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2693

दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

भीड़ द्वारा हत्या

†2693. श्री अब्दुल खालेकः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या असम सहित देश के कई हिस्सों से भीड़ द्वारा मारे जाने की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं;

(ख) क्या भीड़ द्वारा हत्या किए जाने की घटनाओं से निपटने के लिए अलग अधिनियम और फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए क्योंकि वर्तमान में ऐसे मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत दर्ज किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में भीड़ द्वारा मारे जाने की घटनाओं की समीक्षा की जाएगी और वर्तमान घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं तथा राज्य सरकारें अपराध को रोकने, उनका पता लगाने और जांच करने तथा अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर अभियोजन चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) देश में भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं के संबंध में विशिष्ट

आंकड़े नहीं रखता है। तथापि, गृह मंत्रालय ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को परामर्शी पत्र जारी किए हैं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार तुरंत सजा मिले, जो कानून को अपने हाथों में लेता है। हिंसा भड़काने की संभावना वाली फर्जी खबरों तथा अफवाहों के फैलने पर नजर रखने और उनसे कारगर ढंग से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने तथा कानून को अपने हाथ में लेने वाले व्यक्तियों से सख्ती से निपटने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 04.07.2018 को भी एक परामर्शी पत्र जारी किया गया था। इसके अलावा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को देश में भीड़ द्वारा हत्या किए जाने की घटनाओं को रोकने के उपाय करने के लिए दिनांक 23.07.2018 और 25.09.2018 को परामर्शी पत्र जारी किए गए थे। सरकार ने भीड़ द्वारा पीट-पीट कर मारने के आंतक को रोकने के लिए ऑडियो-विजुअल मीडिया के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न की है। सरकार ने भीड़ द्वारा हिंसा और पीट-पीट कर मारने को बढ़ावा देने की संभावना वाली झूठी खबरों और अफवाहों को फैलाने से रोकने हेतु कदम उठाने के लिए सेवा प्रदाताओं को भी संवेदनशील बनाया है।

******